

जीसियो नियम फार्मूला सुरक्षित बैंक धन

जीसियो नियम से बैंक ब्याज के नियम

1. भारत सरकार के । ब्याज नियम के अनुसार । बैंक कर्जा । महीन । 1 हप्ता । 2 हप्ता । 1 वर्ष । 15 वर्ष । 12 वर्ष । 9 वर्ष । 6 वर्ष । 3 महीना । 12 महीना । 9 महीना । 6 महीना । 3 के लिए य इससे अधिक वर्ष के लिए । ब्याज पर धन । किसी भी खाता धारक के । कार्ड मे ही । देगी
2. बैंक । किसी भी प्रकार के । खाता धारकों के । कार्ड मे जमा धन को । अपने एकाउन्ट मे जमा करेगा ।
3. बैंक अपने एकाउन्ट से । किसी भी खाता धारक के । कार्ड मे ही धन भुगतान करेगा ।
4. किसी भी । कार्ड धारक व्यक्ति को । यदि धन की आवश्यकता है । तो बैंक नियमानुसार । बैंक घन्टे धन देने को तैयार है । 24
5. व्यक्ति । ब्याज के साथ । बैंक का कर्जा । बैंक के एकाउन्ट मे । कार्ड व्दारा वापस करेगा ।
6. व्यक्ति सिर्फ । बैंक से ही । धन ले सकता है ।
7. व्यक्ति । व्यक्ति से धन । नहीं ले सकता ।
8. कोई भी कार्ड धारक व्यक्ति । भारत के । किसी भी कोने से । किसी भी बैंक से । अपने । किसी भी कार्ड से । कर्जा धन । ले सकता है ।
9. कोई भी कार्ड धारक व्यक्ति । भारत के । किसी भी कोने से । किसी भी बैंक का कर्जा । अपने । किसी भी कार्ड से । वापस कर सकता है ।
10. बैंक कर्जा लेने वाले । व्यक्ति के । कार्ड की आवक । जावक । बैंक । इंटरनेट व्दारा । कभी भी देख सकता है ।
11. किसी भी । कार्ड धारक व्यक्ति की । बैंक कर्जा वापसी की निश्चित । गारंटी होगी । बैंक को । कभी भी । बैंक धन नुकसान । नहीं उठाना पडेगा ।
12. जीसियो नियम । आ जाने से बैंको को । नुकसान के साथ । सिर्फ कमाई करने का मौका 0 मिलेगा ।

जीसियो नियम से बैंक धन की सुरक्षा

1. जिस कार्ड को बैंक कर्जा देगी । उस कार्ड की । इंटर नेट व्दारा जानकारी रखना । बैंक को अधिकार होगा ।
2. यदि । भारत का कोई भी । किसी भी प्रकार का । कार्ड धारक व्यक्ति । बैंक से लगातार । 6 महीने । य इससे अधिक । समय तक । बैंक से । किसी भी कार्ड व्दारा । बैंक कर्जा लेता है ।

3. और उसके । किसी भी कार्ड मे । 6 महीने । य इससे अधिक समय तक । व्यक्ति की आवक । उसके किसी भी कार्ड मे । जमा नही हो रही है ।
4. तो भारत का कोई भी । किसी भी प्रकार का । कार्ड धारक व्यक्ति । बैंक से । आग्रह करके । बैंक व्दारा । बैंक धन कर्जा । ब्याज सहित । वापस करने की अवधि । बैंक व्दारा बढ़वा सकता है ।
5. और यदि भारत का कोई भी । किसी भी प्रकार का । कार्ड धारक व्यक्ति । बैंक से । आग्रह करके । बैंक व्दारा । बैंक धन कर्जा । ब्याज सहित । वापस करने की अवधि । बैंक से नही बढ़वाता है । और व्यक्ति बैंक के सम्पर्क मे भी । नही है ।
6. तो बैंक के । पुलिस शिकायत व्दारा । उस व्यक्ति को । जेल मे डाला जायेगा ।
7. तब वह व्यक्ति । जेल मे काम कमाई करके । बैंक का धन । ब्याज के साथ वापस करेगा ।
8. बैंक का धन ब्याज के साथ । वापस होने पर । व्यक्ति को । छोड दिया जायेगा ।
9. व्यक्ति जब तक । जेल मे रहेगा । तब तक व्यक्ति के सभी कार्ड । पुलिस मे जमा रहेंगे ।
10. जेल से बाहर निकलने पर । व्यक्ति को सभी कार्ड । पुलिस से मिल जायेंगे ।
11. इस विशेष परिस्थिती मे । व्यक्ति के परिवार । य रिस्तेदार । चांहे तो । अपने किसी भी कार्ड व्दारा । बैंक का धन । ब्याज के साथ वापस करके । व्यक्ति को । जेल से बाहर । निकाल सकते है ।
12. मददगीर परिवार । य रिस्तेदार । य मदद य दान कर्ता के । किसी भी कार्ड व्दारा । सीधे सीधे बैंक के खाते मे । धन जमा नही होगा ।
13. मददगीर परिवार । य रिस्तेदार । य मदद य दान कर्ता के । किसी भी कार्ड का धन । व्यक्ति के कार्ड मे जमा होगा ।
14. व्यक्ति के कार्ड से । बैंक के खाते मे । ब्याज सहित धन जमा होगा ।
15. व्यक्ति को । मददगीर परिवार । य रिस्तेदारों का धन । जेल से । बाहर आकर । अपनी कमाई से । अपने किसी भी कार्ड व्दारा । मददगीर परिवार । य रिस्तेदारों का धन । ब्याज के साथ वापस करना होगा ।
16. मददगीर परिवार । य रिस्तेदार । य मदद य दान कर्ता । चांहे तो अपने । किसी भी कार्ड व्दारा
17. व्यक्ति को । जेल से बाहर निकालने मे । दिया गया ब्याज के साथ धन को । दान खाते मे डाल कर । व्यक्ति को कर्जा मुक्त कर सकता है ।

पी कार्ड धारक की सेवा निवृत्ती

1. पी कार्ड धारक । किसी भी नागरिक की । 60 वर्ष उपरान्त । सेवा निवृत्ती होगी ।

पी कार्ड धारक का बैंक कर्जा

2. पी कार्ड धारक किसी भी नागरिक का । यदि बैंक का कर्जा बाकी है ।

3. तो प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ वापस किया जायेगा ।

प्रथम बैंक का कर्जा चुकता

1. यदि सेवा निवृत्त व्यक्ति के । किसी भी कार्ड से । भारत मे । किसी भी बैंक का कर्जा बाकी है । तो पी कार्ड से । प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
2. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा बाकी रहता है । तो रायल्टी धन से । प्रथम प्रति माह बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
3. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा । बाकी रहता है । तो पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से । मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे से । प्रथम बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
4. बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता होने के बाद । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । जो भारत सरकार के । एन कार्ड मे जमा होगी ।
5. उसके बाद बचे हुये धन को । पी कार्ड धारक सेवा निवृत्त व्यक्ति । उपयोग कर सकता है ।
6. लेकिन पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । 5000 रु प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन पर । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । जीवित रहने तक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । अधिकार होगा ।
7. और सेवा निवृत्त व्यक्ति के । मृत्यु पश्चात् । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
8. पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यु पश्चात । रायल्टी बंद हो जायेगी । और रायल्टी धन बैंक को मिलना बंद हो जायेगा । और सेवा निवृत्त व्यक्ति का । पी कार्ड बन्द हो जायेगा ।

भारत का धन

1. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । लेन देन । भारत की सीमा के अंदर । भारतीय नागरिक से । भारत के किसी भी कार्ड से ही । लेन देन किया जा सकता है ।
2. भारत का धन को । भारत के बाहर । विदेश के । किसी भी कार्ड से । लेन देन नहीं । किया जा सकता है ।
3. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । नहीं भेजा जा सकता ।
4. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । विदेश के । किसी भी बैंक मे । नहीं जमा । किया जा सकता ।
5. भारत का धन । भारत की सीमा के बाहर । धन भेजने के लिए । किसी भी । कार्ड अंकित वैध धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे जमा करके । उस देश मे । चलित नोट रूपया ही । भेजे जा सकते हैं ।

भारत की सभी समस्याओं का अन्त
सिस्टम चेन्ज
जीसियो नियम फार्मूला सुरक्षित बैंक धन

विदेश का धन

1. विदेश का धन । भारत की सीमा के । बाहर का धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे । जमा करके । धन को किसी भी । कार्ड मे । अंकित कराना होगा ।
2. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे । भारत के किसी भी कार्ड मे । अंकित । जमा नही होगा ।
3. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे जमा करके । धन को । किसी भी । कार्ड मे अंकित । जमा कराना होगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की